भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3200

11 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

पेद्दापल्ली जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण और खाद्य सुरक्षा संवर्धन

3200. श्री वामसि कृष्णा गद्दाम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत पांच वर्षों के दौरान पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्नों का वर्ष-वार विशेष आवंटन किया गया है जिसमें विशेष रूप से प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी के अंतर्गत कोयला खनन कामगारों और उनके परिवारों को शामिल किए जाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है;

(ख) कोयला खनन और ताप विद्युत उद्योगों में कार्यरत प्रवासी कामगारों को खाद्य सुरक्षा लाभ सुनिश्चित करने के लिए पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली के कार्यान्वयन की क्या स्थिति है;

(ग) क्या पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के दूरस्थ कोयला खनन क्षेत्रों में अतिरिक्त उचित दर की दुकानों की स्थापना की गई है जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मौजूदा अवसंरचना बढ़ती औद्योगिक कार्यबल आबादी की सेवा के लिए अपर्याप्त है;

(घ) धूल प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण की संभावना वाले औद्योगिक क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केन्द्रों में खाद्य गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं; और

(ड.) पेद्दापल्ली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों में चोरी को रोकने और पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल उपकरणों और ऑटोमेशन के माध्यम से डिजिटल परिवर्तन में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) की श्रेणी के लिए पेद्दापल्ली में खाद्यान्न का आवंटन इस प्रकार है:

...2/-

वर्ष	प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए आवंटन (टन में)
2021	1519.266
2022	1484.688
2023	1473.192
2024	1470.504
2025	1678.134

(ख): तेलंगाना राज्य में वर्ष 2019 से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) प्रणाली लागू की गई है, जिसमें पेद्दापल्ली सहित सभी 33 जिले शामिल हैं, ताकि सभी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा लाभों की सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) सुनिश्चित की जा सके। यह सुविधा राज्य में पीएमजीकेएवाई/एनएफएसए के तहत लगभग 100% लाभार्थियों को कवर करती है, जिसमें कोयला खनन और थर्मल पावर उद्योगों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं।

(ग): तेलंगाना सरकार के अनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए पेद्दापल्ली जिले में वर्तमान में 410 उचित दर दुकानें (एफपीएस) कार्यरत हैं। एफपीएस की स्थापना और युक्तिकरण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है।

(घ): खाद्यान्नों की खरीद से लेकर पात्र लाभार्थियों तक वितरण तक गुणवत्ता मानकों को एकसमान रूप से बनाए रखने के लिए विभाग ने एक गुणवत्ता नियंत्रण नियमावली तैयार करके जारी की है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य सरकार को एक आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना होगा जिसमें कॉल सेंटर, हेल्पलाइन, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, पात्र खाद्यान्न वितरण से संबंधित मामलों में पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए अन्य तंत्र शामिल हो सकते हैं।

(ड.): तेलंगाना सरकार के अनुसार, सभी जिलों में खाद्यान्न आवंटन और वितरण सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सभी लेनदेन उचित दर दुकानों (एफपीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) उपकरणों के माध्यम से किए जाते हैं। ये उपकरण लाभार्थियों के आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और लेनदेन की वास्तविक समय रिकॉर्डिंग को सक्षम बनाते हैं, जिससे चोरी को रोकने और वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में मदद मिलती है।

*****